# राजस्थान सरकार

# राजस्व विभाग

## राजस्थान लैंड रेवेन्यू

## (गौशालाओं को भूमि–बंटन)

## नियम

## 1957

.....

राजस्थान सरकार
राजस्व विभाग
**विज्ञप्ति**

संख्या एफ. 6(76)राजस्व/ए/(बी)56 जयपुर, दिनांक 20 नवम्बर, 1957

राजस्थान लैन्ड रेवन्यू एकट, 1956 (राजस्थान एक्ट, सं. 15, सन् 1956) की धारा 102 के साथ पढते हुए धारा 261 की उपधारा (2) के खण्ड (ग्स्प्ट) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

## राजस्थान लैंड रेवेन्यू (गौशालाओं को भूमि–बंटन) नियम, 1957

1. **नाम तथा प्रारम्भः–** (1) ये नियम राजस्थान लैंड रेवेन्यू (गौशालाओं को भूमि बंटन) नियम 1957 कहलायेंगे।
   (2) ये तुरन्त प्रभाव में आयेंगे।
2. **व्याख्याः–** इन नियमों में जब तक कि विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो भगोशाला से अभिप्राय ऐसी संस्था से होगा जो मवेशी की रक्षा, देखभाल और भलाई अथ्वा उनकी नस्ल सुधार के लिए हों, तथा उसमें भगोपालकेन्द्र , भपिंजरापोल और अन्य समान संस्थायें सम्मिलित हैं।
3. **गौशालायें, जो बंटन हेतु आवेदन करने के योग्य हैंः–** गौशालायें इन नियमों के अधीन, चराने के प्रयोजनों के निमित भूमि बंटन हेतु आवेदन करने के योग्य होंगी यदि–

   (1) वे सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (सं. 31, सन् 1860) के अधीन यथाविधि रजिस्टर्ड हो गई हैं और रजिस्ट्रीकरण का वैध प्रमाणपत्र धारण करती हैं; और
   (2) वे कम से कम पचास मवेशी रखती है।

4. बंटन हेतु आवेदन–पत्रः– (1) कोई गौशाला, जो अपनी मवेशी चराने के लिये, अनधिवासित सरकारी भूमि के किसी बंटनीय क्षैत्र को प्रापत करने की इच्छुक हो, उस जिले के कलेक्टर को लिखित रूप में आवेदन कर सकेगी जिसमें वह भूमि, जिसके लिए आवेदन किया जाना हो, स्थित है।

   (2) आवेदन पत्र में निम्नलिखित ब्यौरा अन्तर्विष्ट होगाः–
   (क) गौशाला का और उस स्थान, जहां वह स्थित है, का नाम।
   (ख) उसके प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम, पते और धन्धे।
   (ग) सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की तारीख, तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की संख्या।
   (घ) अवधि, जिसमें गौशाला इस रूप में कार्य कर रही है।
   (ड) विगत तीन व ाों में गौशाला द्वारा पोषित मवेशी की औसत संख्या।
   (च) वित्तीय स्थिति और आय के साधन।
   (छ) भूमिक्षैत्र जो चराने के प्रयोजनार्थ पहले से ही धारण किया हुआ है, तथा।
   (ज) जिस क्षेत्र के लिए आवेदन किया गया है, उसकी स्थिति, सीमाऐं और खसरा नम्बर।

5. **कलेक्टर द्वारा जांचः–** (1) नियम 4 के अधीन किसी आवेदन–पत्र की प्राप्ति पर, कलेक्टर प्रथमतः ऐसी जांच द्वारा जो वह उचित समझे, आवेदन पत्र में दिये हुए ब्यौरे की सत्यता के बारे में अपने आपको सन्तुष्ट करेंगा, और तदुपरान्त ऐसे क्षेत्र जिसके लिए आवेदन किया जाय, के विषय में तहसीलदार से रिपोर्ट मांगेगा कि आया वह अधिवासित है या अनधिवासित है, आया वह कर निर्धारित है या कर निर्धारित नहीं है और यदि कर निर्धारित है तो उसका लगान क्या है, और साथ ही वर्तमान बन्दोबस्त में उसका भूमि–वर्गीकरण क्या रखा है।

(2) तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, तथा ऐसी और जांच के पश्चात् जिसे करना वह उचित समझे कलेक्टर या तो आवेदन पत्र सरकार को, कमिश्नर के मारफत, अपनी सिफारिशों सहित भेज सकेगा या कारण लेखबद्ध करते हुए अस्वीकार कर सकेगा। आवेदनपत्र को आगे भेजने के पहले कलेक्टर गांव की मवेशी के चरने के लिए भूमि की पर्याप्तता की ओर उचित ध्यान देगा और यह भी विचार करेगा कि आया जिस भूमि के लिए आवेदन किया गया है, वह भूमि गांव आबादी के विस्तार के लिए अथवा किसी अन्य विकास योजना के लिए संभवतया आवश्यक हो सकती है।

6. **<u>भूमियां जिनका बंटन नहीं किया जा सकताः–</u>**

निम्नलिखित वर्गों की भूमियों का इन नियमों के अधीन बंटन नहीं किया जायगाः–

1. किसी नहरी बस्ती (केनाल कालोनी) अथवा नदी घाटी परियोजना क्षैत्र में सम्मिलित भूमि।
2. राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 (राजस्थान एक्ट सं. 3, सन् 1955) की धारा 16 में उल्लिखित भूमि सिवाय उस भूमि के जो उस धारा के खंड (पअ) में वर्णित है, तथा।
3. ग्राम वनों के लिए आरक्षित भूमियां।

7. **<u>बंटन योग्य क्षेत्र की सीमा और मंजूरी देने वाला प्राधिकारीः–</u>**

1. इन नियमों के अधीन बंटन किया जाने वाला क्षैत्र, 500 बीघा की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, प्रति मवेशी एक बीधा होगा।
2. इन नियमों के अधीन सभी बंटन सरकार द्वारा मंजूर किये जायेगे।

8. बंटन की शर्तेंः– इन नियमों के अन्तर्गत सभी बंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किये जायेंगेंः–

1. भूमि पट्टे पर दी जायेगी न कि खातेदारी या गैरखातेदारी अधिकारों के साथ।
2. लगान जो लगाया जायेगा–

(क) वर्तमान बन्दोबस्त में निर्धारित लगान का चौथाई होगा, यदि भूमि, जिसके लिए आवेदन किया गया है, कर निर्धारित है; अथवा

(ख) प्रति 25 बीधे या कम के लिये वार्षिक 1) रू. होगा यदि भूमि कर निर्धारित न हो।

3. पट्टा दस वर्ष की अवधि के लिए अथवा उस अवधि के लिए जब तक कि पट्टाधारी उस भूमिक्षेत्र का प्रयोग गाौशाला की मवेशी का पालन करने के लिए करे, जो कम हो, होगा और दस वर्ष के अन्त में उसका आगे उतनी ही अवधि के लिए ऐसे लगान पर जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये, नवीनीकरण किया जा सकेगा।
4. पट्टाधारी को भूमि क्षेत्र का कोई अंश किसी व्यक्ति अथ्वा व्यक्ति निकाय को, सरकार की पूर्व मंजूरी बिना बेचने, पट्टे देने या आगे लगान पर देनेका अधिकार नहीं होगा।
5. भूमि केवल गौशाला के जरिये पालन की जाने वाली मवेशी चराने के लिये और ऐसी फसलें या पौधे जो गौशाला–मवेशी के चराने के लिए अपेक्षित है, उदाहरणार्थ मौठ, गवार, घास, रजका इत्यादि उपजाने के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रयुक्त की जायगी कि उपजाया गया चारा केवल गौशाला की मवेशी के चराने के लिये काम में लाया जायगा और बाजार में या अन्य व्यक्तियों को नहीं बेचा जायगा।
6. गौशाला में पट्टे की पूरी अवधि तक प्रति बीघा भूमि के लिये एक मवेशी के हिसाब से मवेशी की निश्चित संख्या रखी जायगी।

परन्तु किसी संक्रामक रोग या अप्रत्याशित आपत्ति के कारण मवेशी को निशचित संख्या में कमी हो जाने की दशा में, कलेक्टर पट्टाधारी को कमी पूरी करने के लिए छः महिने का समय दे सकेगा।

7. भूमि पर कोई स्थायी संरचना या इमारत राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी बिना नहीं बनाये जायेंगें; किन्तु पशुशालायें, गोदाम, चारे के संग्रह के लिए भंडार–गृह, श्रमिकों के लिए अथवा गौशाला को ठीक तरह रखने से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिये झौंपडे या मकान, जल के संग्रह के लिए तालाब, जल दीर्घाएं (वाटर ट्रोज) और अन्य तत्सदृश्य व्यवस्थाएं की जा सकेंगी। ऐसी संरचनाएं भूमि के साथ सरकार को हस्तान्तरित हो जायेंगी।

8. पट्टाधारी को पट्टा भूमि में लगे हुए वृक्षों पर कोई अधिकार नहीं होगा और वह, कलेक्टर की विशिष्ट अनुमति बिना कोई वृक्ष नहीं काटेगा तथा ऐसी अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक यह नहीं बताया जाय कि वह चराने के प्रयोजनार्थ भूमि के उचित प्रयोग के लिए आवश्यक है।
9. पट्टे के निबन्धनों और शर्तों में से किसी को पूरा न किये जाने पर, पट्टा रद्द किये जाने योग्य होगा और भूमि सरकार द्वारा एक महिने के नोटिस के पश्चात वापिस ले ली जायगी, और ऐसे पुनर्ग्रहण की दशा में पट्टाधारी किन्हीं रचनाओं इत्यादि के लिये जो उसने निर्मित की हों, किसी मुआवजे का हकदार नहीं होगा।
10. बंटित क्षैत्र के चारों ओर पट्टाधारी द्वारा बाड लगाई जायेगी।
11. पट्टाधारी गोशाला में इतने अभिजात (पैडिग्री) सांड और गायें रखेगा जो गौशाला में कुल मवेशी की चौथाई के बराबर होंगे। सांडों को पडौस के क्षैत्र में ग्राम पंचायत द्वारा नियत दरों पर गायों को ग्याभन कराने के काम में लाया जायेगा। पट्टाधारी गौशाला की कुल मवेशी के 25 प्रतिशत तक निर्बल और असमर्थ गायें भी देखरेख और रक्षण के लिये रखेगा।

9. **पट्टा विलेखः–** पट्टा विलेख, जैसा कि परिशिष्ट भका में दिया हुआ है, राज्यपाल की ओर से मुख्य सचिव द्वारा संपादित किया जायगा।
   पट्टे में निम्नलिखित पांच भाग होंगेः–
   **भाग 1–** स्वाधीनताएं, शक्तियां, और विशेषाधिकार जिनका पट्टाधारी प्रयोग या उपभोग करेगा।
   **भाग 2–** पट्टादाता द्वारा आरक्षित स्वाधीनताऐं, शक्तियां और विशेषाधिकार।
   **भाग 3–** पट्टाधारी के अनुबन्ध (काविनेन्ट्स)।
   **भाग 4–** पट्टादाता के अनुबन्ध।
   **भाग 5–** अनुबन्ध, जिनके विषय में पट्टादाता और पट्टाधारी स्वाभावित रीति से सहमत हों।
10. खतौनी में प्रविष्टिः– इन नियमों के अधीन पट्टे पर दी गई भूमि मुआफी अथ्वा खातेदारी भूमियों के साथ नहीं दिखाई जायगी बल्कि इन नियमों के अधीन गौशालाओं को पट्टे पर दी गई भूमि के रूप में अलग दिखाई जायगी।

.....

## परिशिष्ट भका
## पट्टा विलेख

यह अनुबन्ध पत्र दिनांक ..... को प्रथम पक्षकार राजस्थान राज्य के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे पट्टादाता कहा गया है) तथा द्वितीय पक्षकार .....(जिन्हें इसमें आगे पट्टाधारी कहा गया है) के बीच संपादित होकर निर्देशित करता है कि एतदद्वारा आरक्षित अवशेष के और इसमें आगे अन्तर्विश्ट अनुबन्धों और करारों के जो पट्टाधारी द्वारा चुकाये जाने, पालन किये जाने या कियान्वित किये जाने हैं, प्रतिफल–स्वरूप राज्य सरकार एतदद्वारा पट्टाधारी को वह संपूर्ण भूमिखंड जो ग्राम..... तहसील..... जिला ..... में अनुमानतः..... एकड/बीघा है और इसमें आगे अनुसूची भका में अधिक, स्पष्टतया वर्णित है और इससे संलग्न रेखाचित्र (प्लान) में बताया हुआ है और रंग से रंगा हुआ है, उसके सम्बन्ध में प्रयोग या उपभोग की जाने वाली स्वाधीनताओं, शक्तियों और विशेषाधिकारों सहित जो इस विलेख के भाग 1 में निर्दिष्ट है, परावर्तन में से इस विलेख के भाग 2 में निर्दिष्ट स्वाधीनताऐं, ाक्तियां और विशेषाधिकार आरक्षित करते हुए, एतदद्वारा पट्टाधारी को प्रदत्त और परावर्तित भूगृहादि दिनांक ..... से दस वर्ष कीं अवधि के लिए धारण किये जाने हेतु, प्रदान और परावर्तित करती है और पट्टाधारी एतद्द्वारा सरकार से वे करार करती है जो भाग 3 में व्यक्त हैं और सरकार पट्टाधारी से वे करार करती हैं जो भाग 4 में व्यक्त हैं तथा इस विलेख के भाग 5 में पक्ष परस्पर सहमत हैं।

उपरोक्त के साक्ष्य के रूप में ये उपस्थापनाऐं प्रथमतः उपरोक्त दिन और वर्ष को इसमें आगे उल्लिखित रीति से संपादित की जाती है।

साक्षी.....  .....
पता .....  राजस्थान राज्य के राज्यपाल की ओर से,
मुख्य सचिव।
पट्टादाता।

साक्षी.....  .....
पता .....  पट्टाधारी

भाग 1– पट्टाधारी द्वारा उपयोग या उपभोग की जाने वाली स्वाधीनताऐं, ाक्तियां और विशेषाधिकार।

1. पट्टाधारी एतद्द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि का, पट्टे की पूरी अवधि के लिए, पट्टादाता या उसके नौकर द्वारा कोई रूकावट या अडचन बिना, शान्तीपूर्ण उपभोग करने के लिए तब तक हकदार है जब तक कि भूमि गौशाला की मवेशी चराने के काम में लाई आय और ठहराया गया लगान पट्टादाता को अदा किया जाय।
2. इस पट्टे की अवधि की समाप्ति पर पट्टाधारी, यदि वह इच्छुक हो, दस वर्ष की आगामी अवधि के लिए इन्हीं निबन्धनों पर, सिवायः–
   (1) लगान की दर के, जो ऐसी दर पर होगी जो सरकार द्वारा निर्धारित की जावे, और
   (2) पट्टे के आगामी नवीनीकरण के बारे में प्रस्तुत खंड के नवीनीकरण प्राप्त करने का हकदार होगा।
3. पट्टाधारी पशुशालाऐं, गोदाम या चारे इत्यादि के संग्रह के जिये भंडार–गृह श्रमिकों के लिए अथवा गोशाला को ठीक तरह रखने के कार्य से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए झौंपडे या मकान या जल के संग्रह के लिए तालाब और मवेशी के लिए जल–दीर्घाऐं बनवाने के लिए स्वतंत्र होगा।
4. पट्टाधारी केवल गौशाला की मवेशी के प्रयोगार्थ भूमि के उचित भाग को मौठ, गवार, घास, ल्यूसर्न घास (अलफा लफा) इत्यादि उपजाने हेतु खेती के काम में लाने में हकदार होगा बशर्ते यहउपज बाजार में या दूसरों को नहीं बेचीर जाय।

**भाग 2– पट्टादाता द्वारा आरक्षित स्वाधीनताऐं, शक्तियां और विशेशाधिकार।**

1. पट्टादाता अपने लिए, अपने नौकरों या मनोनीत व्यक्तियों के लिए, उन भूगृहादि में जो पट्टे पर दिये गये हैं, ऐसे किसी खनिज, जो उक्त भूमियों में या उसके अन्तर्गत हों, के पूर्वेक्षण या उसे निकालने के लिए, उसके विषय में कोई क्रिया करने के लिए और उसे ले जाने के लिए, प्रवेश करने का अधिकार आरक्षित करता है।
2. पट्टादाता को पट्टे पर दिये गये भूगृहादि के किसी भाग का किसी रेल्वे, सडक, नहर, जलाशय, किसी टेलीग्राफ या बिजली की लाईन या सब–स्टेशन अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य कार्य के निर्माण, मरम्मत या संधारण के प्रयोजन के लिए पुनर्ग्रहण और पुनः कब्जा लेने कां अधिकार होगा और पुर्नग्रहण और पुनः कब्जा लेने की ऐसी शक्तियों का प्रयोग पट्टादाता की ओर से जिले के कलेक्टर या उसके द्वारा इस बारे में प्राधिकृत किसी पदाधिकारी या मनोनीत व्यक्ति द्वारा किया जायगा।
3. पट्टादाता को पट्टे की अवधि में किसी समय इस पट्टे को समाप्त करने की शक्ति होगी, यदि पट्टाधारी–
   (1) एतद्द्वारा परावर्तित भूमि को या उसके किसी भाग कोऐसे प्रयोजन हेतु जिसके जिए वह पट्टे पर दी गई है या दिया गया है, काम में नहीं लाता है, या
   (2) भूमि के किसी भाग को, सरकार की पूर्व मंजूरी बिना, किसी अन्य व्यक्ति को या व्यक्तियों के निकाय को बेचता है, बन्धक रखता है अथ्वा किसी भी रीति से हस्तानान्तरित करता है, या
   (3) इस पट्टे के किन्हीं निबन्धनों को भंग करता है, या

(4) गौशाला की देखरेख या संधारण के सम्बन्ध में कलक्टर के वैध निर्देशों के पालन में अत्यन्त असावधानी को दोषी है, या
(5) ऐसे अप्रयोग (नॉन यूजर), भंग या असावधानी का नोटिस कलक्टर से प्राप्त होने के तीन महिने के भीतर उक्त निर्देशों के अनुसार दोष–शोधन या उनका पालन करने में विफल रहे।

## भाग 3– पट्टाधारी के अनुबन्ध।

पट्टाधारी एतद्द्वारा निम्नांकित अनुबन्ध करता हैः–
(1) दस वर्ष की उक्त अवधि में ..... रू. प्रति वर्ष की दर से अग्रिम लगान चुकाना।
(2) एतद्द्वारा परावर्तित भूमि का प्रयोग इस करार के भाग 1 में उल्लिलिखत प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए न करना।
(3) पट्टे के पूरे अवधि काल में गौशाला में हर समय मवेशी का पोषण करना।
(4) यदि पट्टे पर दिये गये भूगृहादि के उचित उपयोग के लिये किसी वृक्ष का हटाया जाना आवश्यक हो तो पट्टे पर दिये गये भूगृहादि में वृक्षों को पट्टादाता की विशेष अनुमति बिना नहीं काटना।
(5) करार के भाग 1 के खण्ड 3 में निर्दिष्ट संरचनाओं से भिन्न स्थाई रूप का कोई भवन सरकार की पूर्व मंजूरी बिना नहीं बनवाना।
(6) ऐसे अभिलेख व ऐसे प्रपत्र में जो कलक्टर द्वारा निर्धारित किये जायें, रखना।
(7) गौशाला और मवेशी को सुस्वास्थ्यकारी दशा में रखना।
(8) स्थायी रूप का कोई भवन निर्माण करने के पूर्व कलेक्टर के मारफत पट्टादाता की अनुमति प्राप्त करना।
(9) कलेक्टर को या किसी अन्य पदाधिकारी को जो कलेक्टर द्वारा साधारणतया या विशेषतया प्राधिकृत किया जाय, भूगृहादि, भवनों, अभिलेखों मवेशी इत्यादि का निरीक्षण तत्संबंधी पूर्व नोटिस प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर करने की अनुमति देना।

## भाग 4– पट्टादाता के अनुबन्ध

पट्टादाता निम्नांकित के लिए पट्टाधारी को मुआवजा देने का करार और अनुबन्ध करता हैः–
(1) सरकार की पूर्व मंजूरी से निर्मित स्थायी रूप से सभी वनों के लिए ;
(2) करार के भाग 2 के खंड 1 के अधीन पट्टादाता द्वारा आरक्षित शक्तियों के प्रयोग में फसलों, पौधों, वृक्षों या भवनों को हुई किसी हानि या क्षति के लिए,
(3) किसी मकान, कुए या अन्य स्थायी संरचना, जो बनाये गये हों, के लिए जब कि भाग 2 के खंड 2 के अधीन राजस्थान लैंड एक्विजिशन एक्ट, 1953 (सं. 24, सन् 1953) के प्रावधानों के अनुसार पुनर्ग्रहण किये जायें।

## भाग 5– अनुबन्ध जिनके विषय में पट्टादाता और पट्टाधारी सहजतः सहमत हैं।

पट्टादाता और पट्टाधारी एतदद्वारा करार करते हैं कि पट्टे के निबन्धनों की व्याख्या या पालन अथवा उनकी पर्याप्तता के बारे में, अथवा इस करार से किसी भी रूप में सम्बन्धित किसी विषय या वस्तु के बारे में पट्टादाता और पट्टाधारी के बीच उत्पन्न होने वाले किसी विवाद की दशा में, वह विवाद केन्द्रीय विधान मंडल के आर्बिट्रेशन एक्ट, 1940 (सं. 10, सन् 1940) के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थ निर्णय के लिए सौंपा जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
**आर.एन.हावा**
शासन सचिव